मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

Tel. No. : (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail : ceomprrda@gmail.com

क्रमांक : 15489 /FA/2017 भोपाल, दिनांक : 23/06/2017

प्रति,

1. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक (समस्त)
   म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
   भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रीवा, सागर, ग्वालियर
2. महाप्रबंधक (समस्त)
   म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
   परियोजना कियान्वयन इकाई .... (म.प्र.)

विषयः मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यों के अंतिम देयकों के भुगतान के पूर्व कलेक्टर (खनिज) कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की समय–सीमा निर्धारित किये जाने के संबंध में।

––00––

1. वर्तमान में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत क्रियान्वित किये जा रहे निर्माण कार्यों में उपयोग किये जा रहे गौंण खनिज की मात्रा की गणना कर राज्य शासन को देय खनिज रॉयल्टी की गणना की जाती है। ऐसी खनिज रायल्टी गणना के 03 घटक हो सकते हैं :–

विवरण	घटक
कियान्वयन एजेन्सी द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों में किये गये रॉयल्टी अदा (Royalty Paid) गौण खनिज की कय मात्रा जिसके देयक प्रस्तुत किए गए है।	X
अगर कियान्वयन एजेन्सी द्वारा स्वयं गौण खनिज खनन की अनुज्ञप्ति ली है तो कार्य में प्रयुक्त किये गये गौण खनिज जिसकी रॉयल्टी भुगतान रसीद प्रस्तुत की है।	Y
कार्य में प्रयुक्त किये गये कुल खजिन की मात्रा में से X एवं Y घटाने पर शेष ऐसे गौंण खनिज की मात्रा जिस पर कोई रॉयल्टी के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं महाप्रबंधक द्वारा रनिंग देयक से कटौत्रा कर राज्य शासन के संबंधित मद में जमा की जाना प्रस्तावित है।	Z
प्रयुक्त गौण खनिज मात्रा के आधार पर कुल भुगतान योग्य रॉयल्टी	X+Y+Z

2. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार X एवं Y के अंतर्गत कियान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का सत्यापना कलेक्टर (खनिज) कार्यालय से कराया जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अभिकरण के अंतिम देयक का निराकरण महाप्रबंधक परियोजना कियान्वयन इकाई द्वारा किया जा रहा है। यह बात संज्ञान में लाई गई है कि कतिपय जिलों में ऐसी अनापत्ति प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगने के कारण कियान्वयन अभिकरण के अंतिम देयकों का निराकरण कई माह/कई वर्षों तक नहीं हो पाता है जिससे परियोजना कियान्वयन की गति विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

3. उपरोक्त संदर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 9.6.2017 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 54/12 में यह निर्णय लिया गया है कि घटक X एवं Y के अंतर्गत अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये रॉयल्टी भुगतान के रसीदों/दस्तावेज (देयकों) का सत्यापन कलेक्टर (खनिज) कार्यालय द्वारा संबंधित परियोजना कियान्वयन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा अनुरोध किये जाने पर 90 दिन के भीतर अनिवार्यतः किया जाये। 90 दिन के पश्चात् कलेक्टर (खनिज) कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर यह मान लिया जावेगा कि कलेक्टर (खनिज) कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को सही पाया गया है एवं पीआईयू के महाप्रबंधक द्वारा कियान्वयन अभिकरण के अंतिम देयक का भुगतान तद्नुसार किया जायेगा।

4. परियोजना कियान्वयन इकाई के महाप्रबंधक का यह उत्तरदायित होगा कि कियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक चल देयक में से उपयोग किये गये गौण खनिज की मात्रा के अनुसार X एवं Y के घटक को घटाते हुये शेष मात्रा की रॉयल्टी का अनिवार्यतः कटौत्रा किया जाये एवं अंतिम देयक के निराकरण के समय घटक X एवं Y को घटाते हुये अंतिम रूप से आंकलित गौण खनिज मात्रा की शेष रॉयल्टी की राशि जो कटौत्रा की गई है को राज्य शासन के संबंधित मद में किया जाये। महाप्रबंधक द्वारा अंतिम देयक भुगतान के समय संबंधित कियान्वयन अभिकरण को पैकेज के रॉयल्टी कटौत्रे की स्पष्ट तालिका से सूचित करना भी सुनिश्चित किया जाये।

(हस्ताक्षर)

(नीतेश व्यास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल

पृ.क. 15490/22/वि–12/ग्रा.स./ भोपाल दिनांक 23/06/2017

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य महाप्रबधंक (वित्त) म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण भोपाल।
2. महाप्रबधंक मुख्यालय (समस्त) की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. मैनेजर आई.टी. को सूचनार्थ वेबसाईट के Circular site में अपलोड करें।
4. गार्ड फाइल हेतु प्रतिलिपि।

(हस्ताक्षर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल